

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

ਸਂ. 2154] No. 2154] नई दिल्ली, रविवार, नवम्बर 13, 2011/कार्तिक 22, 1933

NEW DELHI, SUNDAY, NOVEMBER 13, 2011/KARTIKA 22, 1933

कार्पोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 नवम्बर, 2011

का.आ. 2569(अ).—केन्द्रीय सरकार, कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 609 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) और धारा 448 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कम्पनी रिजस्ट्रार-सह-शासकीय पिरसमापक के निम्नलिखित कार्यालयों का उनके सामने कथित क्षेत्रीय अधिकारिता रखने वाले स्थानों पर उक्त अधिनियम के विभिन्न उपबंधों के अधीन कम्पनी रिजस्ट्रार के साथ-साथ शासकीय परिसमापक के कत्यों का निर्वहन करने के लिए गठन करती है।

क्रम सं.	वह स्थान जहां रिजस्ट्रार-सह-शासकीय परिसमापक का कार्यालय आवस्थित होना है	ऐसे कार्यालय की अधिकारिता
1.	नैनीताल	उत्तराखण्ड राज्य
2.	विलासपुर	छत्तीसगढ़ राज्य
3.	. शिमला	हिमाचल प्रदेश राज्य
4.	रांची	झारखंड राज्य
5.	कटक	ओडिशा राज्य
6.	पटना	बिहार राज्य
7.	जयपुर	राजस्थान राज्य

2. पूर्वोक्त के अनुसरण में, शासकीय परिसमापक रांची का कार्यालय उन्नियत होकर रिजस्ट्रार-सह-शासकीय परिसमापक का कार्यालय हो जाएगा और कटक, पटना और जयपुर के कम्पनी रिजस्ट्रार और शासकीय परिसमापक के पृथक कार्यालयों का कम्पनी रिजस्ट्रार-सह-शासकीय परिसमापक के कार्यालय में विलय हो जाएगा।

[फा. सं. 2/14/2011-सीएल. V] अविनाश के. श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th November, 2011

S.O. 2569(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of Section 609 and Section 448 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby establishes the following offices of the Registrar of Companies-cum-Official Liquidator at the places having territorial jurisdictions as stated there against for discharging the functions of the Registrar of Companies as well as Official Liquidator under the various provisions of the said Act.

Serial Number	Place where the office of the Registrar of Companies- cum-Official Liquidator is to be situated	Jurisdiction of such office
1.	Nainital	State of Uttarakhand
2.	Bilaspur	State of Chattisgarh
3.	Shimla	State of Himachal Pradesh
4.	Ranchi	State of Jharkhand
5.	Cuttack	State of Orissa
6.	Patna	State of Bihar
7.	Jaipur	State of Rajasthan

^{2.} Pursuant to the above, the existing office of the Official Liquidator at Ranchi shall stand upgraded as the office of the Registrar of Companies-cum-Official Liquidator and the separate offices of Registrar of Companies and Official Liquidator at Cuttack, Patna and Jaipur shall stand merged as the office of the Registrar of Companies-cum-Official Liquidator.

[F. No. 2/14/2011-CL.V] AVINASH K. SRIVASTAVA, Ji. Secy.